भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1572

04 माच, 2016 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुदा प्रतिरोपण

1572. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री हरिओम सिंह राठौड़ः
श्री नागेन्द्र कुमार प्रधानः
श्री प्रेम दास राईः
श्री राहुल शेवालेः
श्रीमती दशना विक्रम जरदोशः
डॉ. गोकाराजू गंगा राजूः
श्री नाना पटोलेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री दुष्यंत चौटालाः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः
श्री आर. गोपालकृष्णनः
श्रीमती रंजनबेन भट्टः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रतिरोपण संस्थान (एनओपीटीओ) ने मृत दानकताओं से गुदा प्रतिरोपण हेतु विस्तृत दिशा-निदश जारी किए ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश म अंगदान के लिए मौजूदा नियमों/प्रावधानों म सुधार/संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण नियम, 2013 के अंतगत कुछ प्रस्तावित संशोधनों का किसी प्रकार का विरोध हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश भर म लोगों के बीच अंगदान हेतु बढ़ावा देने/जागरूकता फैलाने हेतु कदम उठाए गए ह/उठाए जा रहे ह?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) द्वारा मृत व्यक्ति से प्राप्त गुद के प्रत्यारोपण के लिए मानक शल्य प्रक्रियाओं (एसओपी) संबंधी दिशा-निदर्श का प्रारूप अधिसूचित किया गया है। उसे एनओटीटीओ की वेबसाइट www.notto.gov.in पर अपलोड किया गया है। इसम

गुद के प्रत्यारापेण से संबंधित मामलों म अनुसरण को जाने वाली प्रक्रियाओं / पद्धतियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

(ड.) यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथापि भारत सरकार द्वारा देश म अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए ह। इनम निम्नलिखित शामिल ह:

(i) अक्टूबर और नवंबर, 2015 म प्रसारित 'मन की बात' कायक्रम म माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अंगदान के महत्व को रेखांकित किया गया है।

(ii) आम जनता को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एनओटीओ का वेबसाइट अथात् www.notto.gov.in को कायशील बनाया गया है।

(iii) जानकारी उपलब्ध कराने और अस्पतालों का नेटवक तैयार करने म सुविधा प्रदान करने हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नं. (1800114770) के साथ 24X7 कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। प्रिंट, एसएमएस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से इस नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

(iv) वष 2010 से प्रतिवष भारतीय अंगदान दिवस आयोजित किया जा रहा है। इस वष दिनांक

27 नवंबर, 2015 को इसका आयोजन किया गया।

(v) राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण रजिस्ट्री आरंभ की गई है।

(vi) देश के विभिन्न भागों से अंगदान करने वाले परिवारजनों और अंगदान से संबंधित राष्ट्रीय स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं का अभिनंदन किया गया।

(vii) अंगदान के क्षेत्र म सबसे अच्छा काय-निष्पादन करने वाले राज्य को पारितोषिक प्रदान किया गया।

(viii) प्रिंट मीडिया, डिस्प्ले बोड, बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू), मोबाइल एसएमएस, विशेषज्ञों की वाताओं आदि के माध्यम से अंगदान का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(ix) कोई भी दान किया गया अंग खराब न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यारोपण और / या अंग प्राप्त करने वाले अस्पतालों का नेटवक तैयार करने का काय आरंभ किया गया है।

(x) अब अंगदान का प्रण लेने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए प्रणालियां स्थापित की गई ह। जो लोग अंगदान का प्रण लेना चाहते ह वे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीकों से ऐसा कर सकते ह।

(xi) तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम और कद्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ म क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ) नाम से चार क्षेत्रीय स्तर के संगठन स्थापित करने और जागरूकता सृजन करने तथा प्रत्यारोपण समन्वयकों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(xii) एनओटीटीओ द्वारा दिल्ली एवं एनसीआर के प्रत्यारोपण समन्वयकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(xiii) दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म स्थित प्रत्यारोपण अस्पतालों को निदश दिया गया है कि वे अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्षों (आईसीयू) के बाहर और महत्वपूण स्थानों पर डिस्प्ले बोड लगाएं जिन पर यह उल्लेख किया जाए कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर/प्रत्यारोपण समन्वयक/परामशदाता के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह पूछताछ करे और ब्रेन स्टेम डैड व्यक्तियों के परिवारजनों से अंगदान के लिए अनुरोध करे।

(xiv) राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक कायक्रम के तहत, सरकारी अस्पतालों और अभिघात कद्रों म प्रत्यारोपण समन्वयकों को भाड़े पर नियोजित करने के लिए भी आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

****